सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट

रामगढ़

जिला खनिज फाउंडेशन योजना मार्गदर्शिका

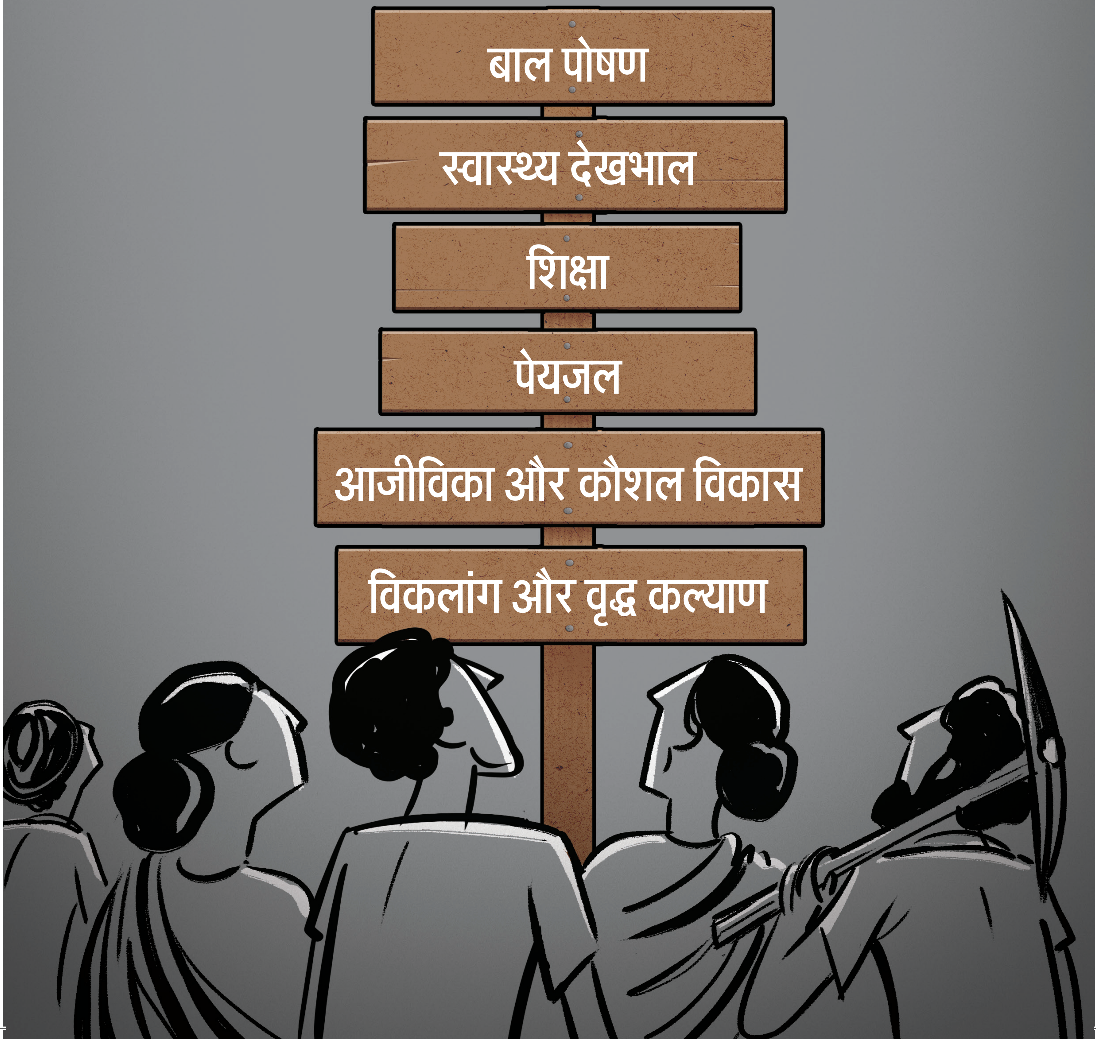

प्रस्तावना

विभिन्न राज्यों के जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के नियम एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) यह बताते हैं कि हर जिले में डीएमएफ को अपने फण्ड के उपयोग के लिए वार्षिक योजना अभ्यास के माध्यम से कार्यों की पहचान और प्राथमिकता देने के लिए किया जाना चाहिए। डीएमएफ योजना के लिए दो स्पष्ट मुद्दों को रेखांकित किया गया हैः जिलों को सहभागी ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय नियोजन अभ्यास करना चाहिए, और खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्पष्ट ''उच्च प्राथमिकता'' वाले मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रभावित लोगों के कल्याण और लाभ बढ़ा सके।

इन दोनों विनिर्देशों को खनन संबंधित संचालन से प्रभावित लोगों के ''हित और लाभ'' के लिए डीएमएफ फण्ड की इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। इसके लिए, जिलों को व्यवस्थित एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए डीएमएफ योजनाओं को विकसित करने की जरूरत है। यह अव्यवस्थित और प्रतिक्रियाशील योजना, खराब निवेश और गलत रुचि हस्तक्षेपों की संभावनाओं को कम करने में भी मदद करेगा।

इस प्रभाव के लिए, रामगढ़ जिले के लिए एक सूचक डीएमएफ योजना प्रस्तावित है। इस अभ्यास का उद्देश्य प्राथमिकताओं की पहचान करने और आउटपुट–आउटकम दृष्टिकोण के आधार पर डीएमएफ द्वारा योजना लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करना है, जिसे जिला अपने वार्षिक और डीएमएफ बजट के अनुरूप कर सकती है। यह अधिक स्थिर निवेश को सक्षम करने के प्रयास के रूप में भी है, क्योंकि सूचक योजना खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और ब्लॉक और जिला स्तर अधिकारियों – जो इसके हितधारक हैं के साथ परामर्श कर बनायी गई है।

जिला खनिज फाउंडेशन

"खनिज समृद्ध भूमि पर रहने वाले लोगों का उस भूमि से लाभ प्राप्त करने का अधिकार"

डीएमफ क्या है?

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) एक गैर लाभकारी स्वायत्त ट्रस्ट है, जो खनन–सबंधी संचालन से प्रभावित प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से बनाना है। इसका गठन केंद्रीय कानून – माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2015 – के तहत किया गया है।

एम एम डी आर अमेंडमेंट, 2015 के अंतर्गत भारत के हर खनन जिले में स्थापित किया जाना है।	**खनन सम्बन्धी कार्यों का संचालन हो रहे क्षेत्र एवं निवासियों के हित और लाभ को सुनिश्चित करने के लिए है।**	**उद्देश्य और कार्य संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित**	**उपायुक्त की अध्यक्षता में एक शाषी परिषद (राजनीतिक और सामुदायिक प्रतिनिधि भी शामिल) और एक प्रबंध समिति (सरकारी अधिकारी शामिल)**

- महत्वपूर्ण अंटटाईड नॉन लैपसेबल वित्तीय कोष जो प्रतिवर्ष सीधा जिले के पास आता है।
- फ्लेक्सी फण्ड– राशी किसी योजना से जुडी नहीं है एवं इस फण्ड से दीर्घकालीन समस्याओं का योजना प्रक्रिया द्वारा निवारण किया जा सकता है।
- नॉन लैपसेबल– राशी नॉन लैपसेबल है एवं बैंक इंटरेस्ट के योग्य है।
- सामुदायिक भागीदारी– विकेन्द्रित समुदाय आधारित योजना प्रक्रिया।

डीएमएफ प्राथमिकता के क्षेत्र

डीएमएफ द्वारा योजना निर्माण

डीएमएफ् ट्रस्ट समुदाय आधारित सहभागी नियोजन प्रक्रिया के तहत (ग्राम सभा का अनुमोदन) वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी।

↓

डीएमएफ के सदस्य संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त सुझावों / योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना तैयार करेंगे।

↓

अंतिम योजना में कार्यान्वित होने वाली विकास योजनाओं / कार्यों की निश्चित समय सीमा, कार्यों के प्रकार एवं संख्या का विवरण रहेगा।

↓

योजनाओं के निष्पादन के लिए ट्रस्ट संबंधित अधिकारियों / लोगों को राशी आवंटित करेगी।

विकेन्द्रित समुदाय आधारित योजनाः एक महत्वपूर्ण कदम

जिला खनिज फाउंडेशन ग्राम सभा के माध्यम से योजना निर्माण करेगी। ग्राम सभाओं (विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए) के माध्यम से ये अधिकार निहित किए गए हैं।

ग्राम सभा की 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं-

- लाभार्थियों की पहचान करनाः प्रभावित गांवों में लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है।
- प्रभावित क्षेत्रों में किए जाने वाले योजनाओं और कार्यो का निर्णय लेने में– इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। वास्तव में झारखंड में डीएमफ ट्रस्ट ग्राम सभा के प्रस्तावों को निरस्त/रद्द नहीं कर सकता है, केवल सुझावों/ संशोधनों के साथ वापस भेज सकता है।
- विकास योजनाओं/कार्यों का निरीक्षण – गांवों में हो रहे कार्यों की रिपोर्ट ग्राम सभाओं में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

डीएमएफ की संभावनाएं

रामगढ़

झारखंड भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। वर्ष 2016–2017 में, राज्य ने 126.4 मिलियन टन (एमटी) कोयले का उत्पादन किया, जो देश में कुल उत्पादन का लगभग 19.1 प्रतिशत था। इनमें से 13 प्रतिशत रामगढ़ जिला से था। जिले के विभिन्न कोयला खनन क्षेत्रों में काम कर रहे प्रमुख कंपनियों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) एवं टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) है। इनमे सीसीएल सबसे बड़ा ऑपरेटर है जिसका खनन परिचालन जिले में 260,000 हेक्टेयर (2,600 वर्ग किमी) से अधिक फैला हुआ है। सीसीएल के जिले में 14 ओपन कास्ट (ओसीपी) और भूमिगत (यूजी) खान हैं, जो पतरातू, चितरपुर, मांडू और रामगढ़ प्रखंड (शहरी क्षेत्र) में है। 2016–2017 के दौरान, भारत में सीसीएल का कोयला उत्पादन 67 एमटी था, इनमें से 17 प्रतिशत अकेले रामगढ़ जिले से था।

रामगढ़ के खनन प्रभावित क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। प्रमुख खनन प्रभावित क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र में रामगढ़ ब्लॉक, ग्रामीण इलाकों (पंचायत) में पतरातू, मांडू, चित्तरपुर और गोला प्रखंड है।

रामगढ़ जिले को डीएमएफ अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त प्राप्त हुई?

रामगढ़ को अब तक (मार्च 2018) डीएमएफ़ से लगभग 414 करोड़ राशि प्राप्त हुई है। अनुमानित है कि रामगढ़ डीएमफ को प्रतिवर्ष 250 करोड़ राशि प्राप्त होगी।

इस राशि से अभी तक की निवेश क्या है?

इस फण्ड से राज्य सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में प्राथमिकतायें तय की गयी है। रामगढ़ में निवेश मुख्य रूप से पेयजल सम्बंधित योजनाओं पर है। लगभग 520 छोटी एवं बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति, सौर आधारित मिनी जलापूर्ति, पुल–पुलिया एवं शौचालय (ओडीएफ) शामिल है। मार्च 2018 तक कुल 326 करोड़ राशि डीएमएफ से स्वीकृत किये गए है।

किन क्षेत्रों में डीएमएफ निवेश करने की आवश्यकता है?

रामगढ़ जिले को डीएमएफ अंतर्गत सालाना 250 करोड़ राशि प्राप्त होने क अनुमान है। इस फण्ड से जिला के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक, मानव विकास और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर निवेश करने का बहुत बड़ा अवसर है।

सीएसई नें रामगढ़ जिले की स्थिति और समस्याओं का मूल्यांकन किया है। इसके माध्यम से यह समझने की कोशिश है कि डीएमएफ की प्राथमिकतायें क्या होनी चाहिए? यह मूल्यांकन मूल रूप से है: डिस्ट्रिक्ट डाटा, खनन प्रभावित लोगों के साथ बैठक एवं चर्चा जिनमे महिला, वृद्ध, युवा, पंचायत और ब्लाक अधिकारियों के साथ चर्चा कर तैयार किया गया है।

रामगढ़ की स्थिति का आंकलन

जिन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें शामिल हैं–

1. **स्वास्थ्य एवं पोषण** – खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बुनियादी ढांचे के साथ–साथ स्वास्थ्य संसाधनों दोनों में कमी है। प्रमुख कमियों में शामिल हैं:
   - प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्त संख्या– उपकेन्द्र, पीएचसी, सीएचसी।
   - अपर्याप्त मानव संसाधन– डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी।
   - अस्पतालों में बुनियादी संरचना की कमी।
   - आबादी की तुलना में आंगनवाड़ी की अपर्याप्त संख्या।
   - आंगनवाड़ी की स्थायी संरचना नहीं।
   - आंगनवाड़ी में पेयजल और शौचालय की सुविधाओं की कमी।

2. **शिक्षा**– शिक्षा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बुनियादी ढांचे के साथ–साथ संसाधनों दोनों में कमी है। प्रमुख कमियों में शामिल हैंः
   - अपर्याप्त संख्या में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल।
   - स्कूलों में स्वच्छ पेयजल (नल का पानी) और बिजली की कमी।
   - माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में प्राथमिक स्तर की तुलना में कम नामांकन।
   - अपर्याप्त शिक्षकों की संख्या।

3. **रोजगार एवं आजीविका**– रोजगार की स्थिति और आजीविका के अवसरों को देखते हुए, निम्नलिखित मुद्दे उभरते हैं जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता हैः
   - कार्यरत आयु वर्ग के लगभग 50 प्रतिशत लोग गैर–श्रमिक हैं।
   - ग्रामीण इलाकों में कमाई काफी कम है, लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार 5,000 प्रति माह रुपये से कम कमाते।
   - स्थानीय संसाधनों जैसे वन–आधारित आजीविका की संभावना काफी कमजोर है। कृषि आधारित आजीविका के अलावा, यह जिले एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतत आजीविका विकल्प के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आय में सुधार एवं स्थिरता प्रदान कर सकता है।
   - कमाई बढ़ाने में ग्रामीण आजीविका योजनाएं अप्रभावी हैं। मनरेगा जैसे योजनाएं भूमि उपलब्धता, अपर्याप्त काम एवं मजदूरी भुगतान के मुद्दों के कारण सीमित हैं। एनआरएलएम के तहत महिला मंडल रेवोलविंग फंड के आधार पर काम कर रहे हैं।

4. **पेयजल स्वच्छता**– पेयजल स्वच्छता सम्बंधित विश्लेषण में शामिल हैंः
   - नल के पानी (उपचारित) तक की पहुंच नहीं।
   - शौचालय सुविधाओं के उपयोग।

5. **प्रदूषण नियंत्रण और भूमि सुधार**
   - झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) झारखंड में 35 ''गंभीर प्रदूषण'' औद्योगिक इकाइयों की एक सूची की पहचान की है। इनमें से सात रामगढ़ जिले में हैं।
   - खनन परिचालन के अलावा अन्य औद्योगिक गतिविधियां भी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में योगदान देती हैं।
   - भूजल प्रदुषण भी अधिक है, कोयला खान क्षेत्रों में भूजल भारी मात्रा में दूषित।
   - दामोदर नदी, जो की एक महत्वपूर्ण सतही जल प्रदाय है, भी सीपीसीबी के अनुसार ''प्रदूषित नदी '' की श्रेणी में है जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

प्राथमिकतायें क्षेत्र एवं निवेश की आवश्यकता

स्वास्थ्य एवं पोषण

स्थिति	0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता
● जीर्ण रोगों का उच्च फैलाव जैसे टीबी, अस्थमा/श्वसन रोग। ● बच्चों के बीच पेयजल और स्वच्छता से संबंधित बीमारियां: उच्च संख्या में मांडू और गोला में, 0–5 आयु के बीच लगभग 85% बच्चे डायरिया एवं डीहाइड्रेशन से पीड़ित। पतरातू एवं रामगढ़ में 86% से ज्यादा बच्चे (0–5 साल) मलेरिया से ग्रसित। ● हेल्थकेयर बुनियादी ढांचे एवं हेल्थकेयर स्टाफ जैसे डॉक्टर, नर्स, टेकनिकल स्टाफ में कमी–ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र ● जिला अस्पताल अर्ध–कार्यात्मक, अस्पतालों में बुनियादी ढांचे/संसाधनों की कमी–आईपीएचएस के अनुसार जिला अस्पताल में 300 बिस्तर होने चाहिए 10 लाख के आबादी पर। ● IMR 29 ग्रामीण क्षेत्रों में 30, U5MR 35 ● 0–5 साल में 52% अंडर वेट (कम वजन) और 44% स्टंटेड हैं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ● तीव्र कुपोषण के लक्षण ● हर खनन प्रभावित क्षेत्र में आंगनवाड़ी अपनी क्षमता से 2.5 गुना बच्चो पर हैं। पतरातू (2.9 गुना), मांडू (3.2 गुना) रामगढ़ (5.7) (मानक के हिसाब से 40 बच्चों के लिए 1 आंगनवाड़ी होनी चाहिए)	● कम से कम 50 प्रतिशत तक पीएचसी और सीएचसी क्षमता बढ़ाने में ● निजी क्लीनिकों के साथ अनुबंध (पीपीपी के माध्यम से) कर क्षमता विस्तार को बढ़ावा ● 'अनुबंध' पर आवश्यकतानुसार डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों को भर्ती किया जा सकता है ● डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से बीपीएल परिवारों की महिलाओं/माताओं जो विधवा या किसी भी सहारे के बगैर हों उनके और बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ● आईसीडीएस के सुधार के लिए वित्तीय अनुदान/अभिशरण, मूल्यांकन कर पोषण हेतु खाद्य और पूरक पोषण की कमी को पूरा किया जा सकता। ● मौजूदा संख्याओं से 50 प्रतिशत तक आंगनवाड़ी की संख्या बढ़ाएं ● सभी एडब्ल्यूसी में साफ/ट्रीटेड पेयजल सुनिश्चित करें ● जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा के तहत उपलब्ध मौजूदा सेवा में सुधार, एवं सार्वजनिक और निजी सुविधाओं दोनों में उपचार और चेक–अप का लाभ उठाने के लिए महिलाओं/माताओं को 'हेल्थ वाउचर' प्रदान किया जा सकता

● 45% से ज्यादा आंगनवाड़ियों के अपने स्थायी भवन नहीं हैं। पतरातू में 78% आंगनवाड़ियों के यह स्थिति है। ● 30–40% (रामगढ़ को छोड़कर) से ज्यादा आंगनवाड़ियों में में पेय जल सुविधा नहीं। बिजली की सुविधा भी मुख्य रूप से नहीं।	● स्वच्छ भारत मिशन का प्रसार विशेष रूप से शौचालयों में पानी की सुविधा सुनिश्चित करते हुए।

शिक्षा की स्थिति एवं निवेश

स्थिति	0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता
● उच्च शिक्षा का स्तर चिंतनीय ● रामगढ़ जिले की साक्षरता 73.2% है लेकिन 20–39 की उम्र में, सिर्फ 18.4% लोगों नें उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की है, सिर्फ 15% लोग स्नातक (ग्रेजुएट) ● प्राथमिक स्कूलों में एनरोलमेंट अच्छा 100, पर माध्यमिक एनरोलमेंट में गिरावट 64 ● पतरातू प्रखंड में लगभग 50% आबादी की पहुंच सेकेंडरी स्कूल तक नहीं (0–5 किमी के अन्दर) ● स्कूलों की कमी–अपर्यापत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल की संख्या ● माध्यमिक स्कूल केवल 10–20% प्राथमिक स्कूलों के तुलना में ● उच्च माध्यमिक स्कूल और भी कम हैं, केवल 5–10% ● मूलभूत सुविधायें जैसे पेयजल, बिजली की कमी ● औसतन 90% स्कूलों में नल जल (ट्रीटेड) सुविधा नहीं।	● माध्यमिक शिक्षा पूरा करने एवं ग्रॉस एनरोलमेंट में आरएमएसए लक्ष्यों के अनुसार सुधार के लिए निवेश। ● शिक्षकों की संख्या में बढोतरी– प्रत्येक उत्क्रमित स्कूल के लिए, अतिरिक्त 10 शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता ● 30:1 की निर्धारित पीटीआर आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं में कर्मचारियों की क्षमता को सुदृढ़ करें। प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक विशेष रूप से ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ● उच्च शिक्षा में मौजूदा छात्रवृत्ति में बढ़ावा करते हुए सभी के लिए विशेष रूप से महिलाओं एवं अशक्षम के लिए शिक्षा सुलभ बनाना। ड्रॉपआउट को कम करने के लिए, एससी/एसटी बच्चों

● ग्रामीण खनन प्रभावित क्षेत्रों में 65% स्कूलों में बिजली उपलब्ध नहीं ● टीचर की उपलब्धता में कमी– औसतन 50% प्राथमिक स्कूल और 70% माध्यमिक स्कूलों में अपर्याप्त टीचर ● पीटीआर एवं एससीआर निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं	के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तियां, बालिकाओं की शिक्षा के लिए एवं आठवीं से बारहवीं कक्षा के बीच अक्षम/विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। ● प्राथमिक स्तर के स्कूलों के लिए, निर्धारित पीटीआर आवश्यकता (प्राथमिक के लिए 30:1 और ऊपरी प्राथमिक के लिए 35:1), जैसा कि आरटीई (2009) के तहत निर्दिष्ट किया गया है। ● माध्यमिक स्तर के स्कूलों के लिए, आरएमएसए के तहत निर्दिष्ट निर्धारित पीटीआर आवश्यकता (30:1) को पूरा किया जाना चाहिए। ● योग्य शिक्षकों को आकर्षित और बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर शिक्षकों के वेतन में सुधार किया जाना चाहिए। ● माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों को विशेष रूप से महिलाएं को प्रशिक्षण और भर्ती।

रोजगार एवं आजीविका की स्थिति

स्थिति	**0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता**
● कुल आबादी के 33% श्रमिक हैं। 67% गैर–श्रमिक वर्ग में, लगभग 50% लोग जो 15–59 आयु वर्ग में गैर–श्रमिक ● सीमांत श्रमिकों आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लगभग 29% ● श्रमिकों में महिला भागीदारी खराब–कुल आबादी का 8% से	● शिक्षा में निवेश 1. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पूरा करने के लिए जिससे सुरक्षित रोजगार मिल सके। महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। 2. उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एससी/एसटी को पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति के प्रदान की

अधिक ही केवल श्रमिक हैं; कार्य आयु वर्ग में 70% गैर श्रमिक हैं। ● लगभग 70% ग्रामीण परिवार 5,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं। इसके अतिरिक्त 11% परिवार की कमाई 5,000–10,000 के बीच। ● लगभग 48% ग्रामीण परिवार आय के स्रोत के रूप में मैनुअल/आकस्मिक श्रमिकों पर निर्भर हैं। ● ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि–निर्भर आजीविका की व्यवहार्यता काफी है। उदाहरण के लिए गोला (ग्रामीण ब्लॉक) में, 76% से अधिक मुख्य श्रमिक कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि, कृषि पानी के अभाव, प्रदूषण, फसल अनिश्चितता और वित्तीय असुरक्षा से भी प्रभावित है। ● एफआरए (2006) के तहत अधिकारों के खराब निपटारे के कारण वन आधारित आजीविका क्षमता कमजोर हो गई है। उदाहरण के लिए मांडू और पतरातू (2 सबसे खनन प्रभावित ब्लॉक) में 41% और 32% वन क्षेत्र है। हालांकि, इन 2 ब्लॉक में, श्रमिक में, लगभग 75% ''अन्य श्रमिक'' हैं (जिसका मतलब है कि किसान/कृषि मजदूर/घरेलू उद्योग श्रमिकों के अलावा कोई भी अन्य)। ● मनरेगा का खराब प्रदर्शन है। औसत लगभग 0.1% परिवार खनन प्रभावित क्षेत्रों से रोजगार के 100 दिन पूरे किए हैं।	जाने वाली सहायता को बढ़ाएं। ● कौशल विकास–पीएमकेवीवाई के प्रावधानों के अनुसार 15–39 के कार्य आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों/गैर–श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण बढ़ाएं। कौशल विकास/प्रशिक्षण का ध्यान महिलाओं, एससी और एसटी जैसे कमजोर वर्ग होना चाहिए, जिनमें से 50% ऐसे कार्यक्रमों में नामांकित हैं। 2. रामगढ़ जिले के स्थानीय संसाधनों और सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को देखते हुए, प्रशिक्षण कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और आतिथ्य (और झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों) जैसे क्षेत्रों के आसपास केंद्रित किया जा सकता है। ● कृषि आधारित आय को बढ़ने के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट ● एमएसपी को 10 प्रतिशत बढ़ाकर लघुवनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का उन्नयन। ● मार्केट लिंकेज–वनोत्पाद/हस्तशिल्प झारक्राफ्ट जैसे संस्थानों की मदद से बढ़ावा ● पूंजी/सब्सिडी प्रदान करें स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग के लिए ● मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और व्यापार उद्यमशीलता के लिए छात्रवृति।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

राजीव रंजन

फोन: 07759064516 • ईमेल: rajeev.ranjan@cseindia.org

वेबसाइट: https://www.cseindia.org/page/district-mineral-foundations

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट

41, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली– 110 062, भारत

फोन: +91-11-40616000 फैक्स: +91-11-29955879

ई–मेल: cse@cseindia.org वेबसाइट: www.cseindia.org